न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष- डॉ0 एम0के0अग्रवाल,

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3565/एक/2015 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29.03.2008 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2003-2004

1- तुलाराम पुत्र श्री फित्ता लोधी, आयु- 62 वर्ष,
निवासी ग्राम बेलई, तहसील मुंगावली, जिला- अशोकनगर,
हॉल निवासी शास्त्रीनगर, उज्जैन म0प्र0।

---------- आवेदक

विरूद्ध

1- गोबिन्द सिंह पुत्र श्री ऊधम सिंह यादव,एवं अन्य 4 पक्षकार
निवासी ग्राम बेलई, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर,

---------- अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन, अधिवक्ता, आवेदक
श्री अरशद अली अधिवक्ता, अनावेदकगण(1 से 5)

(आदेश दिनांक 23/4/18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 29.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2008 में अंकित होने से यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें संज्ञान में लिया जाकर उनका वारीकी से परीक्षण किया जा रहा है।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है निगरानी मेमो में अंकित होने से उन्हें यहां पुनरांकित किया जाकर दुहराए जाने की

आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया जाकर उनका परिशीलन किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.03.2008 निरस्त करने का अनुरोध करते हुए रिकार्ड के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता दिनांक 23.03.18 को अनुपस्थित रहे उनके द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 09.03.18 को सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2017 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति के साथ लिखित तर्क प्रस्तुत किए गये। लिखित तर्क एवं सिविल न्यायालय वर्ग 2 मुंगावली जिला अशोकनगर के आदेश के अनुक्रम में निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उपस्थित बाद बिन्दु के संबंध में विचाराधीन आदेश दिनांक 29.03.2008 का भी अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा अपने आलोच्य आदेश के पैरा 4 में विस्तृत एवं सारगर्भित तथा तथ्यात्मक विवेचना की जाकर पैरा 5 में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होने से मैं प्रश्नाधीन आदेश में की गयी व्याख्या एवं विष्लेषण से सहमत हूं तथा प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 4 में की गयी विवेचना एवं पैरा 5 में दिया गया निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय की आलोच्य आदेश पत्रिका दिनांक 29.03.2008 में अंकित होने से उसे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है किन्तु किया गया विष्लेषण इस आदेश का अंग होगा। इसके अतिरिक्त अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के साथ सिविल न्यायालय वर्ग 2 मुंगावली के आदेश दिनांक 31.08.2017 के द्वारा निगरानी मेमो के पैरा 1 में अंकित भूमि सर्वे क्रमांक 53/26 के संबंध में अनावेदक 1 गोबिन्द सिंह के पक्ष में पारित की गयी डिक्री का भी अवलोकन किया गया। चूंकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधन कारी है।

7- अत: उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश संहिता में निहित प्रावधानों तथा विधिक होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.03.2008 स्थिर रखा जाता है। सिविल न्यायाल वर्ग 2 मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ यह निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर